86

29 11/21	पत्रावली प्रस्तुत। आज के लिये नियत पेशी खुद में पेश हुई, प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया। तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल मिसल की गयी। प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार कर दाखिल दफ्तर किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार से काम हो उप खण्ड अधिकारी दौसा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 16:59:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

यायालय उप खण्ड अधिकारी दौसा

प्रशासन गांव के संग अभियान–2021
कैंप – जीरोता खुर्द

न अधिकारी का नाम :– संजय कुमार गोरा (आर.ए.एस.)

संख्या :– 64 / 2021
नांक :– 23.6.2021
दिनांक :– 29.11.2021

उनवान

बीना देवी पत्नि रूपनारायण जाति मीना निवासी ग्राम चोरडी तहसील दौसा (प्रार्थी)

बनाम

1. **राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा**
2. **तहसीलदार तहसील दौसा**
   (अप्रार्थीगण)

उपस्थिति :– एडवोकेट श्री सीताराम मीना प्रार्थी की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 29.11.2021

अंतर्गत प्रार्थना–पत्र अ.धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी कराने

क्त प्रकरण का संक्षिप्त वृतांत इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रा.पत्र न्यायालय हाजा आशय का पेश किया कि ग्राम जीरोता खुर्द में खसरा नंबर 476 रकबा 0.2935 हैक्टर प्रार्थी की खातेदारी की भूमि हैं । जिस पर प्रार्थी काबिज काश्त है । प्रार्थी द्वारा अपनी दारी भूमि की स्थाई सुरक्षा के लिये पत्थरगढी करवाना चाहती है, पूर्व में दिनांक 6.4. को राजस्व कार्मिकों द्वारा सीमाज्ञान किया गया किंतु वह सीमाज्ञान सहीं नहीं किया है । अतः प्रार्थी अपना पुनः सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाना चाहती है । अतः ग्राम ता खुर्द में खसरा नंबर 476 रकबा 0.2935 हैक्टर का बाद सीमाज्ञान करके, पत्थरगढी ई जावे ।

न्यायालय हाजा द्वारा इस प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रकरण को प्रशासन के संग अभियान–2021 कैंप – जीरोता खुर्द में रखा गया एवं अप्रार्थीगण को प्रकरण में क्ष की ओर से जवाब पेश करने की हिदायत दी गई एवं प्रा.पत्र वादी की नकल मुहैया ाई गई । प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता कैंप में उपस्थित आए ।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से पेशकार सरकार, द्वारा उनका जवाब पेश किया, में गिरदावर व पटवारी हलका द्वारा रिपोर्ट पेश की कि पूर्व में दिनांक 6.4.2021 को ाज्ञान करांया जा चुका है। जिससे प्राथिया असंतुष्ट रही है, उक्त भूमि का प्राथिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.01.24 16:59:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

ान कर पत्थरगढी करवाना चाहते हैं, जो किया जाना उचित है । तथा तहसीलदार द्वारा जवाब पेश किया कि उनवानी प्रकरण बीनादेवी बनाम राज.सरकार में प्रार्थी पुनः ान करवाना चाहती है, दुबारा सीमाज्ञान करने में राजस्व टीम को कोई आपत्ति नहीं है

प्रार्थी के अधिवक्ता की पत्थरगढी प्रा.पत्र पर बहस सुनी गई । पत्रावली व ी पर उपलब्ध रिकोर्ड एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया गया । प्रार्थीयान के क्ता की बहस पर मनन किया गया । प्रार्थी का पत्थरगढी प्रा.पत्र स्वीकार किया जाना चित है । अतः प्रार्थी का पत्थरगढी प्रा.पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार को आदेश दिये जाते हैं कि प्रार्थी के ग्राम जीरोता खुर्द में खसरा नंबर 476 रकबा 0. हैक्टर का पत्थरगढी करने से पूर्व नियमानुसार सीमाज्ञान का शुल्क वसूल कर, ज्ञान हेतु तहसीलदार दौसा दक्ष व अनुभवी गिरदावर व पटवारियान को जिम्मेदारी देवें । ज्ञान के दौरान जो कोई पेड/झाडियां सीमाज्ञान हेतु हटाना आवश्यक होगा, उसे प्रार्थी अपनी जिम्मेदारी व खर्चे पर हटावेगा । तहसीलदार दौसा बाद सीमाज्ञान के पत्थरगढी अनुभूवी पटवारियों/गिरदावरों की टीम गठित की जाकर पत्थरगढी का कार्य करवावें एवं पत्थरगढी प्रार्थी से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल करें । पालना हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी की जावे । प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो तथा बाद ील प्रविष्ठि लेख भण्डार हो ।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में या गया तथा मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया ।

संजय कुमार गोरा (RAS)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 16:59:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner